

पटना में दिनांक-08 जनवरी, 2024 सोमवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य सचिव के रूप में उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी के पद सृजन की स्वीकृति।

1. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

2. मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड अंतर्गत मदनपट्टी ग्राम के समीप सुगरवे नदी पर गेटेड वीयर एवं संलग्न संरचना का निर्माण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रुपये 49,01,50,385/- (उनचास करोड़ एक लाख पचास हजार तीन सौ पचासी) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

2. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

3. गया जिलान्तर्गत डोभी अंचल के विभिन्न मौजा के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा-636.8775 एकड़ अनावाद बिहार सरकार, अनावाद सर्वसाधारण बिहार सरकार की भूमि (भूमि की विवरणी-परिशिष्ट-I संलग्न) सशुल्क आधार पर कुल राशि 95,71,09,851/- (पन्चानवे करोड़ एकहत्तर लाख नौ हजार आठ सौ एक्यावन) रूपए के भुगतान पर अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर परियोजना अंतर्गत इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (आई0एम0सी0) के स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), बिहार को हस्तान्तरण करने एवं बियाडा इस भूमि को इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (आई0एम0सी0) की स्थापना हेतु गठित स्पेशल परपज वेहिकल (एस0पी0वी0) को लीज पर दे सकेगा एवं प्रस्तावित भूमि में शामिल जल निकाय यथा नाला, आहर, बाला, खाई आदि की भूमि के प्रकृति को यथासंभव संरक्षित करने के शर्त पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), बिहार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

3. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

4. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के अधीन स्थापित एवं संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं 46 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य भवनों तथा कैम्पस परिसर में क्रमशः 500 Mbps एवं 300 Mbps की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ नेटवर्किंग एवं वाई-फाई की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25) में कुल अनुमानित राशि ₹० 47.15 करोड़ (सैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) मात्र (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
4. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

5. स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आयुष (आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक एवं यूनानी) प्रक्षेत्र के संवर्द्धन एवं विकास के लिए राज्य के 12 जिलों यथा बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर एवं अरवल में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना हेतु जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं इससे सम्बद्ध विभिन्न कोटि के अन्य राजपत्रित एवं अराजपत्रित कुल 108 (एक सौ आठ) पदों के सृजन के संबंध में।
5. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6. सिर/मूँह एवं गर्दन (Head & Neck) के कैंसर अस्पताल के रूप में संचालित करने के प्रयोजन से दरभंगा के गंगवारा में राज्य सरकार के 100 शय्या के अस्पताल को उपकरण सहित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सुपुर्द करने की स्वीकृति।
6. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

7. स्व० दिनेश कुमार सिंह, भूतपूर्व सदस्य, बिहार विधान सभा के देश के बाहर लिवर प्रत्यारोपण पर हुए कुल व्यय ₹० 71,78,452/- (इकहत्तर लाख अठहत्तर हजार चार सौ बावन) रुपये मात्र की प्रतिपूर्ति, जो सिविल अपील संख्या-9341/2010 में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा, की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।
7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. श्री रामेश्वर मिश्र, तत्कालीन मुंसिफ, बेगूसराय वर्तमान में सब जज-सह-ए०सी०जे०एम०, वैशाली, हाजीपुर (निलंबन के अन्तर्गत) को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त किये जाने की स्वीकृति।
8. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9. राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के निमित्त प्रवृत्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 (अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023) के नियम-6(x) में निर्धारित समय-सीमा को विस्तारित करने के संबंध में।

9. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10. डा० मनीन्द्र कुमार मनीष, तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, कटिहार सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त के विरुद्ध समादेश याचिका सं०-12752/2021 में दिनांक-20.12.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिरोपित निम्नतर कालमान वेतन पर अवनत करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की संसूचित शास्ति को निरस्त कर वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि-30.09.2021 तक सामान्य सेवा अवधि मानते हुए सेवान्त लाभ आदि का भुगतान करने के संबंध में।

10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. गोपालगंज जिलान्तर्गत कटेया अंचल के मौजा-बैरिया, थाना सं०-72, खाता सं०-591, खेसरा सं०-1121 में कुल रकबा-07.41 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि को पावर ग्रिड उपकेन्द्र निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि 8,00,28,000/- (आठ करोड़ अठाईस हजार) रूपए के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा/थाना नं०-पटना सिटी म्यूनिसिपलिटी, वार्ड सं०-15, सीट सं०-90 के विभिन्न म्यूनिसिपल खेसरा की कुल रकबा-0.4869 एकड़ (भूमि विवरणी परिशिष्ट-I) कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के दखल/स्वामित्व की भूमि पर मोईनूल हक स्टेडियम मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०-23,95,91,318/- (तेईस करोड़ पन्चानवे लाख एकानवे हजार तीन सौ अठारह) रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

12. स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

13. श्री मिथिलेश कुमार साहु, भा०प्र०से० (2010)-संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 29.02.2024 के बाद संयुक्त सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(i) के परंतुक को शिथिल करते हुए संकल्प के अन्य प्रावधानों के आलोक में संविदा पर दो वर्षों (लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 एवं विधान सभा आम निर्वाचन, 2025) या उक्त पद पर नियमित पदस्थापन होने तक (जो पहले हो), के लिए नियोजन के संबंध में।

13. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

14. बिहार आई०टी० (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पॉलिसी- 2024 का अनुमोदन।

14. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

15. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-7433 दिनांक-05.06.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम कालावधि में संशोधन।

15. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

16. पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत वाल्मीकिनगर में बहुउद्देशीय सभागार एवं 4 ब्लॉक के 102 कमरों के अतिथि गृह के निर्माण की योजना हेतु भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-3 में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल रु० 40,00,00,000/- (चालीस करोड़) मात्र की राशि के अग्रिम की स्वीकृति।

16. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

17. समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आँगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका को देय राज्य भत्ता क्रमशः 1450/- (एक हजार चार सौ पचास) एवं 725/- (सात सौ पच्चीस) रुपये में दिनांक 01.04.2024 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए क्रमशः 2500/- (दो हजार पाँच सौ) एवं 1750/- (एक हजार सात सौ पचास) रुपये निर्धारित करने तथा इस पर प्रति वर्ष 28637.24 (दो सौ छियासी करोड़ सैतीस लाख चौबीस हजार) रुपये मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

17. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

18. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग "खेल विभाग" '(Department of Sports)' के गठन के संबंध में।

18. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

19. षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अध्याय-8 की कंडिका-8.31 (1)(ii) में स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय मद में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के भत्ता को सम्मिलित किये जाने एवं ग्राम पंचायत के मुखिया/ उप-मुखिया/ वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच/पंच को पूर्व से देय नियत (प्रतिमाह) भत्ता में दिनांक 01.04.2024 के प्रभाव से वृद्धि किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

19. स्वीकृत।

अन्यान्य

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

20. 26 जनवरी, 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय राज्यपाल के अभिभाषण प्रारूप को अनुमोदित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया गया।